

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, २१५
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प ७११

आदेश:-

प्रार्थी के 'खाला कुचरवा' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अपुशरा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के अनुसार ग्राम की जनाबन्दी सम्बन्ध में खाला संख्या प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
१	७११	१६५	गजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह	विजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह

Shan
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द
पदेन सहा.कलक्टर

दिनांक :- ३/१०/२५

क्रमांक :- १२५/३५५

प्रतिलिपि :-

१. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
२. प्रार्थी श्री विजेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह को सूचनाथे।
३. रक्षित पत्रावली।

Shan
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी भीम
जिला-राजसमन्द